संख्या: 6 /2023/270/सत्रह-म-2023- 17-1099/55/2021

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक: 06 मार्च ,2023

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बंध में मार्ग-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 95/ नि0शा0,/मपाकको/ 2022-23 दिनांक 23 फरवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ,जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के संचालन के सम्बंध में प्रथमत: पॉच कार्यकम / परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के समबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 में प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश मत्स्य(विकास एवं नियत्रंण)नियमावली, 1954, उत्तर प्रदेश मत्स्य(विकास एवं नियत्रंण)(द्वितीय संशोधन)नियमावली, 2019 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य(विकास एवं नियत्रंण)(तृतीय संशोधन)नियमावली, 2022 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं-

(1) (क) मत्स्य पालक/मछुआरा/मछुआ का तात्पर्य परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो।

(ख) ''मत्स्य जीवी सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धक, मत्स्य द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो।

(ग) ''मत्स्य पालक का परिवार'' का तात्पर्य उसकी पत्नी/पति, पुत्र (21 वर्ष की आयु तक), अविवाहित पुत्री, गोद ली गयी संतान, उस पर आश्रित माता-पिता, पुत्र की अवयस्क सन्तान, विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उस पर आश्रित हो, से है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.com

(घ) ''मछुआ आवास' का तात्पर्य केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियत क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार आवासहीन मत्स्य पालक/मछुआरा के लिए निर्मित किये गये आवास से है।

(ड़) ''मत्स्य पालक/मछुआरा दुर्घटना' का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा विहित किसी नियमावली के अधीन आच्छादित होने वाली किसी दुर्घटना में मत्स्य पालक/मछुआरा की मृत्यु स्थायी या आंशिक अपंगता से हैं।

(च) ''दैवीय आपदाओं'' का तात्पर्य बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, जलप्रलय/जलप्लावन (अतिवृष्टि), आग लगने और उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य दैवीय आपदाओं से है।

(छ) ''गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार'' का तात्पर्य गरीबी रेखा के नीचे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये न्यूनतम आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से है।

(ज) ''हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण'' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0आई0एस0सी0ई0 अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से है।

(झ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्याालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से है।

(ञ) ''कोष संचालन समिति'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम-5 के अधीन गठित समिति से है।

(ट) ''कोष की सम्बन्धित धनराशि'' का तात्पर्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के कल्याण हेतु उपबन्धित/स्वीकृत की गयी धनराशि और साथ ही साथ कोष में प्राप्त किसी धनराशि से है।

(2) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष का उद्देश्य मत्स्य पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के कल्याण तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

(3) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष, उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों के मत्स्य पालकों और मछुआरों के लिए संचालित होगा। इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों का सम्पादन, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कोष का मुख्यालय मत्स्य निदेशालय, 7-फैजाबाद रोड, बाबूगंज, लखनऊ में होगा।

(4) इस कोष से सहायता निम्नलिखित मदों हेतु प्रदान की जाएगीः-

(क) मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है;

(ख) दैवीय आपदाओं से हुई किसी क्षति की स्थिति में मत्स्य पालक/मछुआरा परिवार को वित्तीय सहायता का उपबंध कराना;

(ग) वैवाहिक सहायता;

(घ) शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि);

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(ङ) चिकित्सा सहायता;

(च) वृद्धावस्था सहायता;

(छ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार एकल आवास सहित मछुआ आवास निर्माण सहायता की भी अनुज्ञा प्रदान की जायेगी;

(ज) उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/मछुआरों के प्रशिक्षण/भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्यय;

(झ) मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करना;

(ञ) मछली पकड़ने के जाल/उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बाक्स आदि उपलब्ध कराना;

(ट) मत्स्य सम्बन्धी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण/मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता की दरें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसार होंगी;

(ठ) जल जीव पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु विद्युत पर राज्य-सहायता;

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विहित मानक के परे कोई अतिरिक्त धनराशि उपबन्धित नहीं की जायेगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना का निष्पादन, लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा।

(5) इस कोष के वित्तीय स्रोत निम्नलिखित होंगेः-

- राज्य सरकार से प्राप्त विभागीय बजट और केन्द्र सरकार या किसी अन्य संगठन या निकाय से प्राप्त वित्तीय सहायता;
- केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों व समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदान कोष;
- पूर्त/दान के माध्यम से प्राप्त धनराशि;
- राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के अधीन प्राप्त निधि/धनराशि।

(6) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष की व्यवस्था और उसका संचालन, प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध समिति निम्नवत् होगी÷

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त	-अध्यक्ष
(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य	-उपाध्यक्ष
(ग) निदेशक, मत्स्य	-सदस्य सचिव
(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी	-सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ड.) लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता -सदस्य

(च) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ -सदस्य

(छ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ, लखनऊ -सदस्य

(ज) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय -सदस्य एवं कोषाध्यक्ष

(7) प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कृत्यों पर विनिश्चय करेगीः-

- कल्याण कोष से मदवार वित्तीय सहायता की धनराशि का अवधारण;
- ऐसे वार्षिक क्रियाकलाप जो संचालित किये जायेंगे;
- लाभार्थियों की पात्रता और उनके नामों का अनुमोदन;
- मत्स्य पालकों/मछुओं के कल्याण हेतु नये कार्यक्रमों पर इस कोष से राहत/सहायता का अनुमोदन;
- कोष की विनिधान धनराशि पर विनिश्चय ;
- कोष की सहायता से संचालित कार्यक्रमों का मानकीकरण;
- केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से इस कोष की सहायता हेतु सामंजस्य स्थापित किये जाने पर विनिश्चय।

(8) बैठक की गणपूर्ति, प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त पचास प्रतिशत सदस्यों से होगी। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार संचालित की जायेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में उसे किसी भी समय संचालित किया जायेगा। बैठक की नोटिस की अवधि सात दिन की होगी, जबकि आकस्मिक स्थिति में नोटिस की अवधि तीन दिन होगी।

(9) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को कोष के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आपात स्थिति में वित्तीय सहायता घोषित करके राहत-धनराशि अवमुक्त करने की शक्ति होगी और जिसका अनुमोदन प्रबन्ध समिति की अगली बैठक में प्राप्त किया जायेगा। राज्य सरकार को किसी क्रियाकलाप के लिए इस कोष से प्राप्त सहायता की धनराशि को दोगुना करने की शक्ति होगी।

(10) विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग की अध्यक्षता की उप समिति में निम्नलिखित होंगे-

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मत्स्य - अध्यक्ष
2-निदेशक मत्स्य - सदस्य सचिव
3-संयुक्त निदेशक मत्स्य - सदस्य
4-वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय - सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(11) उपसमिति की बैठक, आपात स्थिति में किसी भी समय आहूत की जा सकती है किन्तु उक्त समिति द्वारा किये गये विनिश्चय पर प्रबन्ध समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

(12) प्रबन्ध समिति एवं उपसमिति द्वारा प्रदत्त धनराशि की अनुमोदित सीमा तक, विभागाध्यक्ष को वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड I के अनुसार प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन और समय≤ पर जारी राज्य के शासनादेशों द्वारा यथा उपबन्धित वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति, निदेशक, मत्स्य में निहित होगी तथा उस सीमा से परे समस्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की शक्ति शासन के प्रशासकीय विभाग में निहित होगी।

(13) कोई मत्स्य पालक/मछुआ, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की केवल एक योजना से एक बार राहत प्राप्त कर सकेगा।

(14) पूर्वोक्त कोष से सहायता (मछुआ आवास सहायता को छोड़कर) प्राप्त करने के लिए आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थियों की पात्रता के मानदण्ड भारत सरकार के मत्स्य विभाग की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन समय≤ पर राजस्व विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विहित पात्रता शर्तों (मछुआ आवास सहायता को अपवर्जित करते हुए) के अनुसार लागू किये जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो पात्र आवेदकों का अनुमोदन करेगी।

चिकित्सा सहायता सम्बन्धित प्रकरणों के लिए अपवाद स्वरूप विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण अधिकतम 05 दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति के स्तर से न किये जाने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लिए जाने हेतु निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।

(15) यदि राज्य सरकार यह पाती है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को छिपाकर या कपटपूर्वक सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

(16) कोष का लेखा, नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा और उसका लेखा-परीक्षा, विभाग और महालेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(17) आगामी कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ होने के छः माह के अन्तर्गत राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के अधीन और साथ ही साथ योजनावार वित्तीय सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या की सूची और लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे

(18) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष का संचालन लोक लेखा के माध्यम से किया जायेगा। राज्य सरकार से प्राप्त विभागीय बजट व राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता आदि लोक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त करते हुए कोष से उक्त धनराशि का व्यय आय-व्ययक के माध्यम से किया जायेगा, इसका लेखा वर्गीकरण निम्नानुसार होगाः-

(एक) लोक लेखा में निधि हेतु लेखाशीर्षः-

8229-विकास तथा कल्याण निधि-

200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि

19-उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष

(दो) निधि के अन्तरण हेतु व्यवस्था-

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

2405-मछली पालन

797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण

03- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण

48-अन्तर्लेखा संक्रमण।

(तीन) स्वैच्छिक अभिदान/सहायता राशि का ''उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अंतरण'' हेतु व्यवस्था -

2405-मछली पालन

797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण

04-स्वैच्छिक अभिदान/सहायता राशि का उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण

48-अन्तर्लेखा संक्रमण।

(चार) निधि से व्यय हेतु व्यवस्था

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

2405-मछली पालन-

800- अन्य व्यय

13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय

42- अन्य व्यय

(पांच) भाग-4 लेखे में व्यय में से घटाये जाने हेतु वसूली के ब्यौरे-

(विभाग द्वारा अनुदान संख्या-17 के निम्न लेखाशीर्ष के अन्तर्गत भाग-4 में रिकवरी (वसूली) प्रदर्शित की जायेगी)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

2405-मछली पालन

800-अन्य व्यय

13-उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय

42- अन्य व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.com

(छः) ''अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक अभिदान/सहायता राशि हेतु प्राप्ति शीर्ष''

0405-मछली पालन

800-अन्य प्राप्तियां

01- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु प्राप्त स्वैच्छिक अभिदान/सहायता राशि;

(19) कोष के समुचित अनुरक्षण हेतु मत्स्य निदेशालय में एक इकाई स्थापित की जाएगी और कर्मचारियों/कर्मचारिवृंद की तैनाती निदेशक मत्स्य द्वारा की जाएगी जो अपने कार्यों के साथ ही साथ इकाई के कार्यों को भी सम्पादित करेंगे। इकाई में निम्नलिखित कार्मिक तैनात किये जायेंगे-

क-उप निदेशक मत्स्य- 01

ख-सहायक निदेशक, मत्स्य निदेशालय - 01

ग-सहायक लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय - 01

घ-अपर सांख्यिकीय अधिकारी, मत्स्य निदेशालय - 01

ड.-मत्स्य निरीक्षक अथवा मत्स्य विकास अधिकारी - 01

च-वरिष्ठ सहायक - 01

छ-कनिष्ठ सहायक - 01

ज-कम्प्यूटर आपरेटर - 01

(20) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठन का प्रावधान निम्नानुसार होगा-

(क) जिलाधिकारी - अध्यक्ष

(ख) मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य

(ग) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी - सदस्य

(घ) सहायक निदेशक मत्स्य/जनपदीय मत्स्य अधिकारी - सदस्य सचिव

(21) वित्तीय वर्ष 2022-23 में बहुत ही कम समय शेष रहने के कारण मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत प्रथम चरण में निम्न 05 कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा, जिस हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

(अ) मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है।

(ब) दैवीय आपदाओं से हुई किसी क्षति की स्थिति में मत्स्य पालक/मछुआरा परिवार को वित्तीय सहायता का उपबंध कराना

(स) चिकित्सा सहायता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(द) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार एकल आवास सहित मछुआ आवास निर्माण सहायता की भी अनुज्ञा प्रदान की जाएगी

(य) उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/मछुआरों के प्रशिक्षण/भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्यय

(अ) मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है- पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020- 33/2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018टी.सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रू0 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

<u>चयन प्रक्रिया-</u>

अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था-

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

निर्माण लागत-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु बिद्युत संयोजन/सौर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहिक कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा।

(ब) दैवीय आपदाओं से हुई किसी क्षति की स्थिति में मत्स्य पालक/मछुआरा को वित्तीय सहायता का उपबन्ध कराना-

पात्रता हेतु मानक-

1-भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश में उल्लिखित आपदा से आच्छादित व्यक्ति पात्र होंगे।

2-दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त न होने की स्थिति में पात्र व्यक्तियों को मछुआ कल्याण कोष से सहायता प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया-

आपदा से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी द्वारा दैवीय आपदा में प्रभावित होने एवं सहायता हेतु पात्रता का सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय मत्स्य अधिकारी को सत्यापन/जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। तीन दिन में आवेदन पर तहसील की आख्या प्राप्त करते हुए जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजस्व विभाग/अन्य विभाग द्वारा दैवीय आपदा में सहायता से लाभान्वित व्यक्ति चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। दैवीय आपदा में सहायता प्राप्त करने से छूटे हुए पात्र व्यक्तियों की सूची संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता हेतु पात्र लाभार्थियों का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

राजस्व अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0- 387/एक-11-2021-4(जी)/2015 दिनांक 09.06.2021, शासनादेश सं0- 157(1)/एक-11-2021 दिनांक 08.07.2021, तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-30-03/2020-एनडीएम-प् दिनांक 10.10.2022 के क्रम में राजस्व अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-1-111099/59/2022-11 दिनांक 13.10.2022 तथा शासनादेश सं0- 586/एक-11-2022-4(जी)/2015 दिनांक 13.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गैस रिसाव एवं बोरवेल में गिरने, कुआं, नदी व झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु के अतिरिक्त प्रदेश में सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर निम्न विवरण के अनुसार सहायता का प्रावधान हैः-(धनराशि आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी)

क्र0	मद	सहायता हेतु मानक
1	मृत्यु होने पर परिवार को सहायता	रू0 04.00 लाख
2	पैर अथवा आंख खोने पर	रू0 74000.00 (40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर) रू0 2.50 लाख (60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर) राजकीय चिकित्सा लय से दिव्यांगता का स्तर एवं कारण प्रमाणित होने पर।
3	घायल होने पर चिकित्सालय में भर्ती होने पर	रू0 16,000.00 (एक सप्ताह से अधिक समय तक चिकित्सालय में भर्ती होने पर) रू0 5400.00 (एक सप्ताह से कम समय तक चिकित्सालय में भर्ती होने पर) नोट- आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
4	गैर- मशीनीकृत नाव और क्षतिग्रस्त / खोए हुए जाल की मरम्मत / प्रतिस्थापन के लिए मछुआरे को सहायता। (यह सहायता अनुमन्य नहीं होगी यदि लाभार्थी सक्षम हो या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत तत्काल आपदा के लिए सहायता प्राप्त किया हो)	रू0 6,000/- केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत के लिए रू0 15,000/- पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नाव को बदलने के लिए रु0 3,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए रू0 4,000/- पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जाल को बदलने के लिए

http://shasnadesh.up.nic.com

5	छोटे और सीमांत किसानों को मत्स्य बीज फार्म के लिए निवेश सहायता	रु0 10,000.00 प्रति हेक्टेयर। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जाने वाली एकमुश्त अनुदान को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत् यदि लाभार्थी आपदा के लिए कोई अनुदानसहायता प्राप्त / की है तो यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर निवेश हेतु सहायता की सीमा अधिकतम 02 हेक्टेयर तक होगी। दैवीय आपदा से सम्बन्धित उक्त शासनादेशों में संशोधन होने पर परिवर्तित व्यवस्था प्रभावी होगी। धनराशि आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

(स) <u>चिकित्सा सहायताः-</u>

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 19/2021/165/ 36-3-2021-01(यू.एस.एस.)/13टी.सी. दिनांक 20.10.2021 द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को रू0 5.00 लाख तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है तथा साथ ही असंगठित कामगारों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (ै।ब्भ्प् ै) के द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5.00 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

<u>चिकित्सा सहायता हेतु गम्भीर बीमारियों का विवरण</u>

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या- 4200-4331/भ0नि0बो0(90)/2011, दिनांकः 15.07.2011, उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-13/2015/319/36-2-2015-93(1)/11 दिनांकः 03.11.2015 एवं पत्र संख्या- 3190-96/भ0नि0बो0 (90)/2017 दिनांकः 03.10.2017 द्वारा निम्न गम्भीर बीमारियां अधिसूचित की गयी हैं:-

1. हृदय की शल्य क्रिया
2. गुर्दा का प्रत्यारोपण
3. लिवर (यकृत) का प्रत्यारोपण
4. मस्तिष्क की शल्यक्रिया
5. रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया
6. पैर के घुटने बदलना
7. कैंसर का इलाज
8. एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. आंख की शल्य क्रिया
10. पथरी की शल्य क्रिया
11. एपेन्डिक्स की शल्य क्रिया
12. हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया
13. महिलाओं को होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया
14. सर्विकल(बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य क्रिया
15. अन्य गम्भीर बीमारी जिसमें कम से कम एक सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराया गया हो।

उक्त शासनादेशों में संशोधन होने पर परिवर्तित व्यवस्था प्रभावी होगी।

पात्रता-

मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित न हो।

चयन प्रक्रिया-

गम्भीर बीमारी से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा। उपचार से सम्बन्धित समस्त आवश्यक अभिलेख/बिल वाउचर्स की मूल प्रति एवं प्रमाणित प्रति मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

प्राप्त आवेदन पत्र जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा समस्त अभिलेखों सहित सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। आवेदक पूर्व में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित नहीं हुआ है, इसका सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय मत्स्य अधिकारी को सत्यापन/जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। तीन दिन में आवेदन पर तहसील की आख्या प्राप्त करते हुए जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकतम पांच दिन में करते हुए लाभार्थी चयन किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर से आवेदन पत्रों का निस्तारण अधिकतम 05 दिवस में न किये जाने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने हेतु निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 अधिकृत होंगे।

देय हित लाभ-

1-सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा निजी चिकित्सालयों में राज्य के अन्दर उपचार कराने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) लखनऊ की दर पर एवं राज्य के बाहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

2-चिकित्सा/शल्य क्रिया में चिकित्सालय द्वारा उपचार का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

3-उपचार सम्बन्धी बिल वाउचर्स का सत्यापन सम्बन्धित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

4-एक परिवार को अधिकतम पांच लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

आवश्यक अभिलेख-

1-बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख

2-दवाइयों के क्रय पर हुए मूल बिल वाउचर्स जो कि उक्त चिकित्सक/चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित किए गए हो।

3-किसी गम्भीर बीमारी का उपचार करने वाले चिकित्सक/चिकित्सालय द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।

(द) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार एकल आवास सहित मछुआ आवास निर्माण सहायता की भी अनुज्ञा प्रदान की जाएगी:-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर, एक या दो कमरे की कच्ची दीवार एवं कच्ची छत युक्त मकानों में निवास कर रहे व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसे परिवार, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता से आच्छादित है परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं है, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 06/2018/216/38-4-18-123 (विविध)/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 25 वर्ग मी0 क्षेत्रफल, जिसमें रसोईघर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा, के मानक के अनुसार आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों में रू0 1.20 लाख तथा नक्सल प्रभावित जनपदों (सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर) में रू0 1.30 लाख निर्धारित है।

मछुआ आवास हेतु पात्रता हेतु मानकः-

मछुआ आवास का तात्पर्य केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियत क्षेत्रफल और धनराशि के अनुसार आवासहीन मत्स्य पालक/मछुआरा के लिए निर्मित किये गये आवास से है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-पात्रता हेतु शर्तेः-

- आवासहीन हो अथवा कच्चे व जर्जर मकानों में रह रहे हों।
- प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना अथवा अन्य किसी आवासीय योजना में लाभान्वित/चयनित न हो।

2-बहिर्वेशन के लिए मानदण्डः-

- मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चैपहिया वाहन।
- मशीनी तिपहिया/चैपहिया कृषि उपकरण।
- रू0 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
- वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
- वे परिवार, जिनका कोई सदस्य रू0 10,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
- आयकर देने वाले परिवार।
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
- वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
- वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
- वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
- दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
- वे परिवार, जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

चयन प्रक्रिया-

- आवेदक द्वारा आवेदन जनपदीय अधिकारी के समक्ष किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में मछुआ आवास हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु प्रस्ताव पारित कराकर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त संस्तुति सहित पात्र लाभार्थियों की सूची जनपदीय मत्स्य अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- खण्ड विकास अधिकारी पात्रता की जांच करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अथवा अन्य किसी आवासीय योजना से आच्छादित नहीं है, आवासहीन है तथा मछुआ आवास चयन हेतु पात्र है।
- जिला स्तरीय समिति(डी0एल0सी0) द्वारा पात्र आवेदनों को डिजिटल लाटरी द्वारा रैण्डमाइज कर क्रम निर्धारित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>योजना के मुख्य बिन्दुः-</u>

यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार के महिला सदस्य अथवा यदि परिवार में महिला उपलब्ध न हो अथवा उनका देहान्त हो गया हो, तो पुरूष के नाम पर भी आवास का आवंटन किया जा सकता है।

- आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मी0 होगा, जिसमे रसोईघर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा।
- आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों में रू0 1.20 लाख तथा नक्सल प्रभावित जनपदों (चन्दौली, मीरजापुर एवं सोनभद्र) में रू0 1.30 लाख होगी।
- आवास हेतु अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में 03 किश्तों में अन्तरित की जायेगी। प्रथम किश्त सामान्य क्षेत्रों में 40 हजार, द्वितीय किश्त 70 हजार तथा तृतीय किश्त 10 हजार की होगी। नक्सल प्रभावित जनपदों में प्रथम किश्त 44 हजार, द्वितीय किश्त 76 हजार तथा तृतीय किश्त 10 हजार की होगी।
- कमरों का आकार इत्यादि का निर्धारण लाभार्थियों की इच्छानुसार किया जा सकता है, परन्तु एक कमरा एवं एक किचन होना अनिवार्य है।
- प्रत्येक आवास की मुख्य दीवार पर योजना का नाम, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं निर्माण वर्ष अंकित होगा।

<u>आवास का निर्माणः-</u>

- आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रथम किश्त की अवमुक्ति के पश्चात् प्लिंथ स्तर तक आवास का निर्माण अधिकतम एक माह में कर लिया जायेगा। प्लिंथ स्तर तक निर्मित आवास का फोटोग्राफ तथा निरीक्षण रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। प्लिंथ स्तर के आवास के निर्माण के पश्चात् द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- द्वितीय किश्त की धनराशि से लाभार्थी द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा। मात्र प्लास्टर एवं पुताई का कार्य तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा।
- आवास का निर्माण अधिकतम 03 माह में अवश्य कर लिया जायेगा।
- यदि लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का दुरूपयोग यदि लाभार्थी द्वारा किया जाता है तो लाभार्थी से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।

(य) <u>उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/मछुआरों के प्रशिक्षण/भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्ययः-</u>

1-प्रशिक्षणार्थियों का चयनः-

प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन जनपदीय मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा तथा जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा।

<u>2-प्रशिक्षण के प्रकारः-</u>

- प्रशिक्षण राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मानक के अनुसार प्रकार के होंगे-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(अ) **एकदिवसीय वर्कशाप/कान्फ्रेन्सः**- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित है-

क्र0 सं0	इकाई लागत के घटक	धनराशि रू0 में अधिकतम) (सीमा
1	उदघाटन / सत्र प्रारम्भ व्यय (बैनर, बुके, फोटो इत्यादि)	1,000
2	कार्यशाला स्थल का किराया(अधिकतम रू0 5,000 एक पूर्ण दिवस के लिए)	5,000
3	वर्कशाप या कार्यशाला किट(फोल्डर पैड, पेन, सन्दर्भ सामग्री इत्यादि)	रू0 100/- प्रति प्रतिभागी की दर से
4	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय (आनारेरियम)	तीन सत्र के लिए रू0 750/- प्रति व्यक्ति
5	लंच एवं रिफ्रेशमेन्ट	रू0 300/- प्रति व्यक्ति की दर से
6	विविध	2,000

(ब) **त्रिदिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः**- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित है-

क्र0 सं0	इकाई लागत के घटक	धनराशि रू0 में (अधिकतम सीमा)
1	दैनिक भत्ता(डी0ए0)	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से
2	यात्रा भत्ता (टी0ए0) इन – हाउस ट्रेनिंग	रू0 200 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से आने जाने हेतु
3	एकोमोडेशन	रू0 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से तीन दिन के लिए
4	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय (आनरेरियम)	पांच सत्र व तीन दिन के लिए रू0 750/- प्रति व्यक्ति प्रति सत्र की दर से
5	प्रशिक्षण सामग्रीस्टेशनरी का / वितरण	रू0 250/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम
6	प्रशिक्षणार्थियों के लिए लंच, चाय, स्नैक्स	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन
7	डिमान्सट्रेशन फील्ड विजिट/	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम की दर से
8	विविध	2,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(ब 1) त्रिदिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित है-

क्र0 सं0	इकाई लागत के घटक	धनराशि रू0 में (अधिकतम सीमा)
1	दैनिक भत्ता(डी0ए0)	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से
2	यात्रा भत्ता (टी0ए0) इन हाउस ट्रेनिंग	रू0 300 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से आने जाने हेतु
3	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय (आनरेरियम)	तीन दिन में पांच सत्र के लिए रू0 750/- प्रति व्यक्ति प्रति सत्र की दर से
4	प्रशिक्षण सामग्रीस्टेशनरी का / वितरण	रू0 250/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम
5	प्रशिक्षणार्थियों के लिए लंच, चाय, स्नैक्स	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन
6	डिमान्सट्रेशन फील्ड विजिट/	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति कार्यक्रम की दर से
7	विविध	2,000

(स) **<u>पांच दिवसीय एक्सपोजर विजिट</u>**:- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की नवीनतम दर से मदवार निम्नानुसार निर्धारित है-

क्र0 सं0	इकाई लागत के घटक	धनराशि रू0 में (अधिकतम सीमा)
1	दैनिक भत्ता (डी0ए0) (चार दिन की अनुमानित यात्रा अवधि को सम्मिलित करते हुए) (रू0 300X1X9 = रू0 2,700/-)	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन (यात्रा प्रारम्भ से अन्त तक वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर)
2	यात्रा भत्ता(टी0ए0)	आने लाने हेतु वास्तविक आवागमन किराया स्लीपर क्लास अधिकतम रू0 2000/- प्रति व्यक्ति
3	एकोमोडेशनः अधिकतम रू0 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन की दर से (इन- हाउस ट्रेनिंग) (रू0 600X5X1 = रू0 3000/-)	रू0 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन

http://shasnadesh.up.nic.in

4	स्टेशनरी	रू0 100/- प्रति प्रशिक्षणार्थी
5	प्रशिक्षणार्थियों एवं साथी अधिकारियों के लिए लंच, चाय, स्नैक्स	रू0 300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन
6	विविध	2,000

प्रशिक्षण स्थल/संस्था का निर्धारण निदेशक मत्स्य , उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा

सभी मत्स्य योजनाओं के आवेदन पत्रों के प्रारूप ग्राम सचिवालय(सी0एस0सी0) में भी उपलब्ध रहेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत होगा-

प्रारूप

योजना का नाम-मत्स्य पालक कल्याण कोष

परियोजना का नाम- मछुआ आवास

लाभार्थी का नाम-

पिता/पति का नाम-

पता-(ग्राम, पोस्ट व जनपद)-

निर्माण वर्ष-

3- योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सबंधित विभाग से कराया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2023 / 270/ सत्रह-म-2023 तददिनांक-

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन / वित्त/ न्याय/ ग्राम्य विकास/ सिंचाई/ कृषि/ पंचायतीराज / संस्थागत वित्त /राजस्व / खाद्य एवं प्रसंस्करण/ कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन ।
3- विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद,तेलंगाना ।
5- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

10- समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।

11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।

12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण,उ0प्र0।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।